# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लोहरदगा ।

## अनुमति वाद सं0. 245/2009-10 धारा- 46 सी0एन0टी0 एक्ट

## आदेश

आवेदक श्री बुधराम उराँव पिता स्व0 बिरसा उराँव ग्राम- टंगरा टोली बदला मौजा-बदला थाना -सेन्हा, जिला-लोहरदगा के द्वारा सी0 एन0टी0 एक्ट की धारा- 46 के तहत् आवेदन दिया गया है कि उन्हें निम्नलिखित जमीन को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाय ।

आवेदित भूमि का विवरणी

| मौजा | थाना | थाना न0 | खाता न0 | प्लाट न0 | रकबा |
|---|---|---|---|---|---|
| बदला | सेन्हा | 148 | 200 | 3024 में से | 0.12ए0 |

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र को ग्रहण करते हुए संबंधित मौजा के नाम आम ईश्तिहार नोटिश जारी किया गया कि उक्त जमीन को बिक्री करने के विरूद्ध यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति आवेदन न्यायालय में उपस्थित होकर निर्धारित्त तिथि को या उससे पूर्व दाखिल करें । निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ । साथ ही आवेदक से प्राप्त आवेदन की प्रति भेजते हुए अंचल अधिकारी, सेन्हा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई ।

अंचल अधिकारी, सेन्हा ने अपने पत्रांक- 432 दिनांक- 06.11.2009 द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है । अंचल अधिकारी, सेन्हा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के पास कुल 2.25½ए0 जमीन है एवं जमीन बिक्री के बाद 2.13½ए0 जमीन बचता है । आवेदक मकान बनाने एवं कृषि कार्य हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं, आवेदक खतियानी रैयत नही है । जमीन अपनी है । आवेदक खतियानी रैयत पुत्र है । क्रेता एवं बिक्रेता दोनों एक ही थाना-सेन्हा के निवासी हैं एवं दोनों आदिवासी हैं । जमीन का श्रेणी टाड़ है ।

इस संबंध में आवेदक का भी ब्यान लिया गया कि उनके द्वारा बतलाया गया कि वे मौजा-बदला के खाता न0-200 प्लाट न0-3024 में से रकबा-0.12ए0 भूमि को श्री सीताराम असुर पिता- श्री रतनु असुर साकिन- तुईमूपाठ, थाना सेन्हा जिला- लोहरदगा के साथ बिक्री करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिए है । आवेदक खतियानी रैयत नही है । जमीन अपनी है । आवेदक खतियानी रैयत पुत्र है । जमीन की बिक्री करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है । आवेदक मकान बनाने एवं कृषि कार्य हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं । अंचल अधिकारी, सेन्हा के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 432 दिनांक 6.11.09 में जमीन की बिक्री मो0, 2000/- प्रति डीसमील प्रतिवेदित किया गया है जो विगत दो वर्ष पुराना है ।दिनांक 01.08.10 को नये दर के आधार पर 10,000/-(दस हजार) रू0 प्रति डी0 के दर से कर रहे है । जमीन पर कोई विवाद नहीं है । जमीन बिक्री करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है ।

अतः आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र, उनके द्वारा न्यायालय में दिए गए ब्यान तथा अंचल अधिकारी, लोहरदगा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक मौजा-बदला के खाता न0-200 प्लाट न0-3024 में से रकबा-0.12ए0 भूमि को श्री सीताराम असुर पिता-श्री रतनु असुर साकिन- तुईमूपांठ, थाना सेन्हा जिला- लोहरदगा के साथ मो0 10,000/-(दस हजार) रू0 प्रति डी0 की दर से सी0 एन0टी0 एक्ट की धारा 46 के तहत् बिक्री करने की अनुमति उनके निजी दायित्व पर प्रदान की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, लोहरदगा को सूचनार्थ भेंजें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
लोहरदगा ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
लोहरदगा ।

ज्ञापांक 584 /रा0

दिनांक 22.7.11

प्रतिलिपि- जिला अवर निबंधक, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
लोहरदगा ।
उप समाहर्त्ता भू॰ सु॰
लोहरदगा

21.7.11